फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

रामस्वरूप बनाम साहबराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट   प्रकरण संख्या 36/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
01.03.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक, रोही मौजा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 83/78 की कुल तादादी 5.1870 हैक्टेयर वाद भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 27/03/2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)**	
13/03/23	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो मूल दावा में शामिल है। राजीनामा होने के कारण प्रार्थी द्वारा वाद नहीं [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर दावा खारिज [illegible] है। मूल दावा खारिज होने [illegible] नहीं है तथा प्रार्थना पत्र [illegible] कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)**	(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner